तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/2/22	पत्रावली पेश हुई वकील उपस्थित। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैर सायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो अराजी खसरा नम्बर 790, 792, वाके ग्राम मन्याकाबास व खस० नं० 549, 549/1864, 565, 565/1863 वाके ग्राम शेखजादान तहसील कठूमर के मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे तथा पत्रावली पर प्रार्थी स्टे आदेश दिनांक 23.6.2020 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर श्रवण कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमील मूल वाद के साथ शामिल रहे सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 02 / 66 / 2020

वउनवान

1. धनबन्ती उम्र 14 साल पुत्री स्व0 झम्मन पोत्री छोटेलाल जाति मीना
2. मनीशा उम्र 17 साल पुत्री स्व0 झम्मन पोत्री छोटेलाल जाति मीना

नाबालिगान जरिये सपरस्त नाना सम्पतराम पुत्र शिवलाल जाति मीना निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा राज0

------ सायलान

बनाम

1. छोटेलाल पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर
2. उप पंजीयक भनोखर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री ओमवीरसिंह फौजदार– अधिवक्ता सायलान की ओर से

श्री राधेश्याम चौधरी– अधिवक्ता गैरसायल सं0 1

आदेश

दिनांक 15.02.2022

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 790 रकवा 0.67 हे. 792 रकवा 0.24 हे. ग्राम मन्याकाबास व खसरा नम्बर 549 रकवा 0.11 हे. 549 / 1864 रकवा 0.05 हे. 565 रकवा 0.06 हे. 565 / 1863

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

रकवा 0.19 हे. ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर में स्थित है। सायलान, गैरसायल सं0 1 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। सायलान ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में परिवार का सजरा अंकित किया है। छोटेलाल सायलान का दादा व झम्मन सायलान के पिता है। सायलान के पिता झम्मन मां दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। इस प्रकार सायलान छोटेलाल की पोत्रियां है। सायलान एंव गैरसायल सं0 1 आपस में दादा पोती है। विवादित आराजी में सायलान का 1/3 हिस्सा गैरसायल सं0 1 का 1/3 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 का 1/3 हिस्सा है। विवादित आराजी गैरसायल सं0 1 को भी गैरसायल के पिता व सायलान के पडदादा गंगाधर से विरासत में प्राप्त हुई है। उपरोक्त विवादित आराजी सायलान के पडदादा गंगाधर व छोटेलाल की पैदा कर्दा आराजी होने से पैत्रिक आराजी है। जिसमें सायलान को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक व अधिकार पैदा हो चुके है। विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। इस प्रकार उक्त आराजी पैत्रिक आराजी है। जिसमें सायलान को बाई बर्थ हक वो अधिकार पैदा हो चुके है। सायलान विवादित आराजी में अपने हिस्सा के मुताविक काविजे रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में गैरसायल सं0 1 का नाम खातेदारी में दर्ज रहने से सायलान के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। सायलान ने गैरसायल से विवादित आराजी में अपना नाम दर्ज कराने वावत कहा तो गैरसायल ने साफ इन्कार कर दिया। गैरसायल सं0 1 ने सायलान को खुले आम धमकी दी है कि मैं तुम्हें विवादित आराजी पर तुम्हारे हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने दूँगा। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करूँगा या फिर हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर गैरसायल सं0 1 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा दूँगा। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

गैरसायल अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गया तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव कियागया।

गैरसायल सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सायलान का विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं है। मीना समुदाय पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लगू नहीं होते है तथा लडकियों का सम्पत्ति में कोई हक व हिस्सा नहीं होता है केवल पुरूश सदस्यों का ही हक व हिस्सा होता है। गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। जिसे विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। विवादित आराजी से सायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायलान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य ना होने से खारिज किया जावे। सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम मन्याकाबास की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

वहस सुनी गई। सायलान को अपने प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है।

प्रथम दृश्टा केस

सुविधा का सन्तुलन

ना पूर्ति होने वाली क्षति

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल ग्राम मन्याकाबास की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान के पड दादा गंगाधर की पैदा कर्दा आराजी है। गंगाधर से ही उक्त आराजी सायलान के दादा गैरसायल सं0 1 छोटेलाल को विरासत में मिली है। उपरोक्त विवादित आराजी सायलान के पडदादा गंगाधर व दादा छोटेलाल की पैदा कर्दा आराजी होने से पैत्रिक आराजी है जिसमें सायलान को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक वो अधिकार पैदा हो चुके है। सायलान का विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। उक्त आराजी गैरसायल सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल सं0 1 सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है व जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करने की धमकी देता है तथा दीगर लोगों को रहन वय करने पर उतारू है। यदि गैरसायल ने ऐसा कर दिया तो सायलान को अपार हानि, असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करगैरसायलान को ता फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 ने अपनी लिखित वहस पेश कर कथन किया कि सायलान का विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं है। मीना समुदाय पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लगू नहीं होते है तथा लडकियों का सम्पत्ति में कोई हक व हिस्सा नहीं होता है केवल पुरूश सदस्यों का ही हक व हिस्सा होता है। गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। जिसे विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। विवादित आराजी से सायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायलान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य ना होने से खारिज किया जावे। सायलान ने अपने तथ्यों की पुश्टि में कानूनी नजीर आर आर डी 2002 पेज 31 से 33 की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड कानूनी नजीर का अवलोकन किया। सायलान ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में परिवार का सजरा अंकित किया है जिस सजरा वावत गैरसायल सं0 1 ने कोई आपत्ति नहीं की है। सायलान गैरसायल सं0 1 की पोत्री व झम्मन की पुत्री है। इस प्रकार सायलान एंव गैरसायल सं0 1 के मध्य पैत्रिक सम्पत्ति का विवाद सावित है जो पारिवारिक मामला है। सायलान को विवादित आराजी में हक व अधिकार प्राप्त हैं या नहीं ये तथ्य तो मूल वाद में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आने पर ही तय किये जावेगे। यदि गैरसायल सं0 1 को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायल विवादित आराजी को रहन वय कर सकता है। जिससे अपार हानि असुविधा व क्षति सायलान को होना संभव है। इस वजह से दावा के फैसले तक विवादित आराजी का मूल स्वरूप व रेकार्ड यथावत बनाये रखा जाना जरूरी है। गैरसायल को पाबन्द किये जाने से उसे किसी तरह का नुकशान, क्षति होती हो इस तरह

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रहे है। अतः प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बरान 790 रकवा 0.67 हे. 792 रकवा 0.24 हे. ग्राम मन्याकाबास व खसरा नम्बर 549 रकवा 0.11 हे. 549/1864 रकवा 0.05 हे. 565 रकवा 0.06 हे. 565/1863 रकवा 0.19 हे. ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर के मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा पत्रावली पर प्रभावी स्टे आदेश दिनांक 23.06.2020 को मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 15.02.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)